FORM NO. [illegible]

फर्द अहकाम

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी   मुकाम– धोद मु. सीकर

सविता   बनाम   तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट   मु.नं. 21/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2021	प्रार्थीया सविता पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तीकरण के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पुरा की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद में अवस्थित खसरा सं. 66 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा सं. 67 रकबा 0.4200 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर में प्रार्थीया का नाम संगीता पुत्री छोटूराम दर्ज है व ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद में अवस्थित खसरा सं. 206 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, खसरा सं. 207 रकबा 1.7700 हेक्टेयर, खसरा सं. 211 रकबा 2.1700 हेक्टेयर, खसरा सं. 298 रकबा 0.8100 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0300 हेक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सुभिता पुत्री छोटूराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम सविता पुत्री छोटूराम है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, 10 वीं अंकतालिका, परिवार राशनकार्ड में भी प्रार्थीया का नाम सविता अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम संगीता पुत्री छोटूराम व सुभिता पुत्री छोटूराम के स्थान पर सविता पुत्री छोटूराम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार धोद से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम ढाका की ढाणी के खसरा सं. 206, 207, 211, 298 किता 4 कुल रकबा 5.0300 हेक्टेयर में सुभिता पुत्री छोटूराम हि. 1/16 व ग्राम पुरा की ढाणी में खसरा सं. 66, 67 किता 2 कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर में संगीता पुत्री छोटूराम हि. 1/16 जाजिा जाट नि. ढाका की ढाणी दर्ज राजस्व रेकॉर्ड है। मौके पर मुताबिक पूछताछ, अंकतालिका मा.शि.बोर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड में आवेदिका का नाम सविता दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में सहवन से आवेदिका का नाम सुमिता व संगीता दर्ज होना बताया गया। अतः राजस्व रेकार्ड में सुमिता पुत्री छोटूराम व संगीता पुत्री छोटूराम के स्थान पर सविता पुत्री छोटूराम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत शपथ–पत्र व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुरा की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद में अवस्थित खसरा सं. 66 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा सं. 67 रकबा 0.4200 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर में प्रार्थीया का नाम संगीता पुत्री छोटूराम के स्थान पर सविता पुत्री छोटूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद में अवस्थित खसरां सं. 206 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, खसरा सं. 207 रकबा 1.7700 हेक्टेयर, खसरा सं. 211 रकबा 2.1700 हेक्टेयर, खसरा सं. 298 रकबा 0.8100 हेक्टेयंर कुल किता 4 कुलं रकबा 5.0300 हेक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सुभिता पुत्री छोटूराम के स्थान पर सविता पुत्री छोटूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगी। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested